प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज-दिनांक जून 03, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 126 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-27 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता पुनीत वर्मा पत्नी बबलू नि0 बरवा कृपाल थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 22 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 220/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में व अभियुक्ता सुनीता पत्नी दूधनाथ नि0 बरवां कृपाल थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 23 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 221/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. शिव कुमार वर्मा पुत्र जयप्रकाश 2.हबीबुल्लाह उर्फ भालू पुत्र शब्बीर 3. इरशाद उर्फ काका पुत्र सबरुशाह उर्फ सद्दाम नि0 मिश्रौलिया थाना निचलौल जनपद महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 219/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्वाही-अभियुक्त 1. साहेब उर्फ अभिषेक पासवान पुत्र सुरेश नि0 औरहिया थाना पनियरा जनपद महराजगंज 2. पुरुषोत्तम पुत्र विभूति जायसवाल नि0 राउतगंज उर्फ रावतगंज थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर 3.जितेन्द्र निषाद पुत्र राममिलन नि0 महराजगंज टोला भेलनीपुर ताना गुलरिहा जनपद गोरखपुर के विरुद्ध थाना पनियरा पर मु0अ0सं0 97/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. महेन्द्र पुत्र रामप्रीत 2.शिवपूजन पुत्र रामप्रीत नि0 लक्ष्मीपुर एकडंगा थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 61/22 धारा 434 भादवि व 3/5 लो0स0क्ष0नि0 अधि0 में कार्यवाही की गयी।

इण्डियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त ज्ञानेन्द्र शर्मा पुत्र उत्री शर्मा नि0 धरमपुर थाना चौक जनपद महराजगंज (प्रबंन्धक अंकित हास्पिटल) के विरुद्ध थाना निचलौल पर मु0अ0सं0 218/22 धारा 15(3) इण्डियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

***विवेचनाओं का निस्तारण-* पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-13 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।**

जनपद में 02/03.06..2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 28 अभियुक्तो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।